रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 18, 1985/पौष 28, 1906
No. 25] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 18, 1985/PAUSA 28, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1985

अधिसूचना

का.आ. 30 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

जनवरी, 1979, में हुए एक उप-चुनाव में आंध्र प्रदेश राज्य के 277-सथुपल्ली सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी श्री जे. वेंकटेश्वर राव (जिन्हें इसमें इसके आगे "निर्वाचित अभ्यर्थी" कहा गया है) के निर्वाचन को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तारीख 23-4-1980 के अपने आदेश द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 123 के खण्ड (6) के अधीन निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने के आधार पर शून्य घोषित कर दिया था;

और श्री जे. वेंकटेश्वर राव ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की थी और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 20-5-1980 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा अपील का निपटारा लंबित रहने तक उच्च न्यायालय के आदेश का प्रवर्तन स्थगित कर दिया था;

और उच्चतम न्यायालय ने 15-9-1983 को उक्त अपील खारिज कर दी थी;

और राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अनुसरण में इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि हां तो कितनी कालावधि के लिए; और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबंध देखिए) दी है कि निर्वाचित अभ्यर्थी को छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए, जो 15 सितम्बर, 1983 से अर्थात् उसकी अपील को खारिज करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से, प्रारंभ होगी;

अतः अब मैं, ज़ैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) द्वारा स्वंय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चित करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को 15 सितम्बर, 1983 से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए।

15 जनवरी, 1985 ज़ैल सिंह,
भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत का निर्वाचन आयोग

भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष

1984 का निर्देश मामला सं. 2 (लो-प्र-अ)

[लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 8क (3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश]

मामले में आंध्र प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जे० वेंकटेश्वर राव की निरर्हता।

राय

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (1) के साथ पठित धारा 8क (3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए इस निर्देश में इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व सदस्य श्री जे. वेंकटेश्वर राव को उक्त अधिनियम की धारा 123 (6) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने के लिए निरर्हित किया जा सकेगा और यदि हां तो कितनी अवधि के लिए।

2. मामले के सुसंगत तथ्यों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है :—

(1) जनवरी, 1979 में हुए एक उप-चुनाव में 277 सथुपल्ली सभा निर्वाचन क्षेत्र से आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिये श्री जे० वेंकटेश्वर राव के निर्वाचन आध प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1979 के नि. वि. सं. 2 में तारीख 23-4-80 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा शून्य घोषित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने श्री राव को उस समय विहित 10,500 रुपए की अधिकतम सीमा से अधिक निर्वाचन व्यय उपगत या प्राधिकृत करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(6) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया था।

(2) श्री राव ने उक्त अधिनियम की धारा 78 की अपेक्षानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी, खम्मम को दाखिल किए गए अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे में 7,952-02 रुपए का व्यय दर्शित किया था। तथापि, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य में यह पाया कि श्री राव ने निम्नलिखित व्यय भी उपगत या प्राधिकृत किए थे, जो उन्होंने अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे में दर्शित नहीं किए थे, अर्थात:—

(1) रत्नम आयल कम्पनी, अस्वरारावपेट से ईंधन के क्रय पर 588.35 रुपए;

(2) रवि आटो सर्विसेज, सथुपल्ली से लिए गए ईंधन की अधिक मात्रा पर व्यय जिसका केवल थोड़ा सा भाग निर्वाचन व्ययों के लेखे में दर्शित किया गया था;

(3) श्री गोपाल कृष्ण पेट्रोल पम्प, जंगारेड्डिगुडम से क्रय किए गए 465 लीटर पेट्रोल पर व्यय;

(4) प्रचार की कालावधि के दौरान प्रयोग की गई तीन जीपों और एक कार के किराए पर और चालक के बेट्टा पर 2,720 रुपए का अनुमानित व्यय;

(5) एक दिन के लिए चार कारों के लिए भाड़ा प्रभार और पेट्रोल पर 425 रुपए का अनुमानित व्यय;

(6) श्री धनलक्ष्मी टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज, राजमुन्द्री से बैनर और झंडों की छपाई पर 7,300 रुपए का अनुमानित व्यय;

(7) कुमारी लीथोज, विजयवाड़ा, से पोस्टरों की छपाई पर रुपए, 628.75 पैसे; और

(8) निर्वाचन प्रचार पर उसके मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा 4,000 रुपए।

(3) उच्च न्यायालय के तारीख 23-4-1980 के पूर्वोक्त आदेश और निर्णय के विरुद्ध श्री राव ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की थी और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 20-5-1980 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा उस अपील के निपटाए जाने तक उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर दिया था। अन्ततोगत्वा, उच्चतम न्यायालय ने 15-9-1983 को पूर्वोक्त अपील खारिज कर दी।

(4) अपील खारिज करते समय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 15-9-1983 के अपने निर्णय में निम्नलिखित मत व्यक्त किए :—

"उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा निर्वाचन को इस आधार पर अपास्त कर दिया था कि निर्वाचित अभ्यर्थी ने भ्रष्ट आचरण अपनाये थे और उसने आगे यह निदेश दिया कि उस अपीलार्थी को जो निर्वाचित अभ्यर्थी है, उस तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए कोई भी निर्वाचन लड़ने से विवर्जित किया जाएगा।

यह प्रतीत होता है कि अपील किए जाने के पश्चात् इस न्यायालय ने निर्णय के प्रवर्तन का सशर्त स्थगन मंजूर कर दिया। इसी दौरान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 5-1-1983 को हुआ। इस न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए स्थगन आदेश के बावजूद भी अपीलार्थी उक्त निर्वाचन नहीं लड़ सका। सामान्य अनुक्रम में 1988 से पूर्व किसी भी निर्वाचन के होने की कोई संभावना नहीं है। अगला निर्वाचन होने के समय तक अपीलार्थी पर अधिरोपित निरर्हता समाप्त हो चुकी होगी।

मामले को इस दृष्टि से देखने पर हमारा यह समाधान हो गया है कि अपील कागजी रह गई है और उस दृष्टि से वास्तव में व्यर्थ हो गई है। अतः हम इस अपील के गुणावगुण पर विचार करना नहीं चाहते और तदनुसार गुणावगुण के आधार पर परीक्षा किए बिना अपील के निपटाए जाने का आदेश देते हैं।"

(5) निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 6-12-1983 के अपने पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को दृष्टि में यह लाया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के विद्यमान उपबंधों के अधीन श्री जे० वेंकटेश्वर राव ने तारीख 23-4-1980 के उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप छह वर्ष के लिए निरर्हता अपने आपसे उपगत नहीं की है और यह प्रश्न कि क्या श्री राव को निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि हां तो कितनी कालावधि के लिए, उक्त धारा 8क की उपधारा (1) और उपधारा (3) के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाना है।

(6) तारीख 6-12-1983 के आयोग के पूर्वोक्त पत्र के उत्तर में उच्चतम न्यायालय ने तारीख 14-12-83 के अपने पत्र में निम्नलिखित जानकारी दी :—

"उक्त सिविल अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116क के अधीन एक निर्वाचन पिटीशन में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस विनिश्चय के विरुद्ध फाइल की गई थी जिसके द्वारा भ्रष्ट आचरण के आधारों पर श्री जे० वेंकटेश्वर राव का निर्वाचन अपास्त कर दिया गया था। 1976 में अधिनियम का संशोधन हो जाने के परिणामस्वरूप निरर्हता की कालावधि का अवधारण अधिनियम की धारा 8 (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना है और अधिकतम कालावधि उस तारीख से, जिसको निरर्हता प्रवृत्त होगी, छह वर्ष हो सकती है। इस न्यायालय के स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए धारा 8(क) के अधीन अनुध्यात कार्रवाई नहीं की गई थी। जब अपील 15-9-1983 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई तब अपीलार्थी (श्री जे० वेंकटेश्वर राव) और प्रत्यर्थी दोनों के काउंसेल न्यायालय में उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में अपील गुणावगुण पर परीक्षा किए बिना इस तथ्य के फलस्वरूप खारिज कर दी गई कि विधान सभा के लिए 5-1-1983 को नया निर्वाचन हुआ है और, उच्च न्यायालय के विनिश्चय के प्रवर्तन के सशर्त स्थगन आदेश के बावजूद भी अपीलार्थी ने निर्वाचन नहीं लड़ा। इस न्यायालय का यह मत था कि 1988 से पूर्व सामान्य अनुक्रम में कोई भी निर्वाचन नहीं होना है और अधिनियम के अधीन जो निरर्हता विहित की जाएगी वह तब तक समाप्त हो सकती है। अपीलार्थी के काउंसेल को यह चाहिए था कि वह प्रतिवाद करता कि श्री जे० वेंकटेश्वर राव ने जो भी निरर्हताएं, यदि कोई है उपगत की हैं वे भी अपास्त की जानी चाहिए। तथापि क्योंकि ऊपर निर्दिष्ट आधारों पर ऐसी कोई बात नहीं उठाई गई थी इसलिए न्यायालय ने हस्ताक्षरित आदेश के आधार पर अपील खारिज करते हुए आदेश पारित कर दिया।"

3. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 23-4-1980 के निर्णय और आदेश के तथा उच्चतम न्यायालय के तारीख 20-5-1980 के अंतरिम आदेश और तारीख 15-9-1983 के अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट तारीख 14-12-1983 के उनके पत्र द्वारा स्पष्ट है, अब यह प्रश्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (1) के आधार पर आंध्र प्रदेश विधान सभा के सचिव द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष उठाया गया है कि क्या श्री जे० वेंकटेश्वर राव को संसद् और राज्य विधान मंडल के भावी निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्हित किया जा सकेगा और यदि हां तो कितनी कालावधि के लिए।

4. पूर्वोक्त प्रश्न का विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति ने यह मामला उक्त अधिनियम की धारा 8क (3) के अधीन उसकी राय जानने के लिए आयोग को निर्दिष्ट किया है। धारा 8क(1) के परन्तुक के अधीन निरर्हता की कालावधि उस तारीख से जिसको उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी हुआ था, अर्थात्, वर्तमान मामले में 15-9-1983 से किसी भी दशा में छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जबकि तारीख 20-5-1980 का उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश तारीख 15-9-1983 के उसके अंतिम आदेश के साथ निष्प्रभावी हो गया था।

5. राष्ट्रपति को अपनी राय देने से पूर्व आयोग ने श्री वेंकटेश्वर राव को मामले में सुनवाई का अवसर देने का विनिश्चय किया। श्री राव को अनेक सूचनाएं भेजे जाने के बावजूद भी वह आयोग के समक्ष उपस्थिति नहीं हुए। श्री राव को पूरा अवसर देने के लिए आयोग ने अनेकों बार सुनवाई स्थगित की। कुछ अवसरों पर सुनवाई की तारीखें समाप्त होने के बाद ही उन्हें आयोग द्वारा भेजी गई ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई, जबकि ऐसी सूचनाएं उनको काफी पहले अग्रिम रूप में भेजी गई थी। उन सूचनाओं के लिए उनका उत्तर तारीख 3-9-1984 के उनके आवेदन में एक संक्षिप्त उत्तर था जिसमें उन्होंने यह कथन किया था कि यदि गुणावगुण के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा

उनकी अपील की सुनवाई की गई होती तो वह अपील में सफल हो जाते क्योंकि गुणावगुण के आधार पर उनका मामला अत्यधिक अच्छा था। उन्होंने यह भी कथन किया कि वह तारीख 23-4-1980, अर्थात, उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से चार वर्ष और पांच मास से अधिक की निरर्हता पहले ही उपगत कर चुके हैं और उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि आयोग उन निरर्हताओं से उन्हें अवमुक्त करते हुए राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकता है। उस आवेदन में उन्होंने यह भी वांछा की थी कि यदि आयोग मामले में अग्रिम कार्रवाई करना चाहता है तो उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, वह 24 नवम्बर, 1984 को इस प्रयोजन के लिए नियत सुनवाई में पुनः उपस्थित नहीं हुए, जिसकी सूचना 5 नवम्बर, 1984 को उन्होंने सम्यक् रूप से प्राप्त की थी।

6. उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि श्री राव को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (6) के अधीन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है और वह निष्कर्ष श्री राव द्वारा फाइल की गई अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है। आयोग उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से आबद्ध है इससे पूर्व पैरा 2 में दिए गए मामले के सुसंगत तथ्यों से यह प्रकट होता है कि श्री राव ने उस समय विहित 10,500 रुपए की अधिकतम सीमा से काफी अधिक निर्वाचन व्यय उपगत या प्राधिकृत किया था। इस बात पर शायद ही बल देने की आवश्यकता है कि विहित सीमा से अधिक निर्वाचन व्यय उपगत या प्राधिकृत करना एक ऐसा मामला है जिस पर अत्यधिक गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में कंवर लाल गुप्त बनाम अमरनाथ चावला (ए. आइ. आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 308) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के मत उद्धृत करना उचित होगा :

> "व्यय को सीमित करने वाले उपबंधों का दोहरा उद्देश्य है। एक तो यह बात किसी व्यक्ति पर अथवा राजनीतिक दल पर, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, छोड़ दी जानी चाहिए कि वह किसी निर्वाचन को किसी भी अन्य व्यक्ति या राजनैतिक दल के मुकाबले में, चाहे वह कितना भी धनाढ्य अथवा वित्तपोषित क्यों न हो, समानता के आधार पर लड़ सके और कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल अपने वरिष्ठ वित्तीय बल के आधार पर दूसरों की अपेक्षा फायदे की स्थिति में नहीं होना चाहिए। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार से हमारे देश में निर्वाचन कराए जाते हैं, यह आवश्यक है कि किसी भी निर्वाचन अभियान को सफल बनाने में रुपया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यय को सीमित करने का एक अन्य उद्देश्य जहां तक संभव हो वहां तक निर्वाचन प्रक्रिया में अत्यधिक धन के प्रभाव को समाप्त करना है।"

7. श्री राव ने ऐसी किन्हीं शमनकारी परिस्थितियों को नहीं दर्शाया है जिनसे यह प्रतीत होता हो कि उन्हें विहित सीमा से कहीं अधिक निर्वाचन व्यय उपगत और प्राधिकृत करने के ऊपरवर्णित भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उनकी यह दलील कि वह 23-4-1980 से पहले ही निरर्हता उपगत कर चुके हैं, स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि यह प्रश्न कि क्या उन्हें निरर्हित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, वर्तमान कार्रवाइयों की विषयवस्तु है। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसकी दृष्टि से मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिसके कारण श्री राव के प्रति कोई सदस्यता दिखायी जानी चाहिए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (1) के दाण्डिक उपबंधों को उनके संबंध में पूर्ण प्रभाव के साथ लागू नहीं किया जाना चाहिए।

8. अतः, मेरा यह मत है और मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री वेंकटेश्वर राव को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (1) के अधीन 15 सितम्बर, 1983, अर्थात्, उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से और जिस तारीख से उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रभावी हुआ था, उक्त अधिनियम की धारा 123 (6) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने के लिए छह वर्ष की पूर्ण कालावधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए। तदनुसार मैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (3) के आधार पर राष्ट्रपति को उपरोक्त आशय की राय देता हूं।

(आर. के. त्रिवेदी)
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली,
नवम्बर 28, 1984.

[फा. सं. 7 (23)/84-वि. II]
रु० वेंकट सूर्य पेरीशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 1985

S.O. 30(E).—The following order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas the election of Shri J. Venkateswara Rao (hereinafter referred to as the "returned candidate"), a returned candidate from 277-Sathupalli assembly constituency in the State of Andhra Pradesh, at a bye-election held in January, 1979, was declared void by the Andhra Pradesh High Court by its order

dated 23-4-1980, on the ground of commission by the returned candidate of the corrupt practice under claus (6) of section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the "said Act");

And whereas Shri J. Venkateswara Rao filed an appeal before the Supreme Court and the Supreme Court by its interim order dated 20-5-1980 stayed the operation of the High Court order pending disposcal of the appeal,

And whereas the Supreme Court on 15-9-1983 dismissed the said appeal;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act on the question whether the returned candidate should be disqualified under section 8A(1) of the said Act, and if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the returned candidate should be disqualified for a period of six years to be reckoned from the 15th September, 1983, that is, the date of the judgement of the Supreme Court dismissing his appeal,

Now, therefore, I, Zail Singh, President of India, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (3) of section 8A of the said Act do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of six years from the 15th September, 1983.

ZAIL SINGH,
President of India.

The 15 January, 1985.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 2(RPA) of 1984

[Reference from the President of India under section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951]

In re : Disqualification of Shri J. Venkateswara Rao, former member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly.

OPINION

This reference from the President under section 8A(3) read with Sectior 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951 seeks the opinion of the Election Commission on the question whether Shri J. Venkateswara Rao, former member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly, may be disqualified and, if so, for what period for committing the corrupt practice under section 123(6) of the said Act.

2. The relevant facts of the case may be briefly stated as under :—

(i) The election of Shri J. Venkateswara Rao to the Andhra Pradesh Legislative Assembly from 277-Sathupalli assembly constituency at a bye-election in January, 1979 was declared void by the Andhra Pradesh High Court by its judgement and order dated 23-4-80 in E.P. No. 2 of 1979. The High Court found Shri Rao guilty of corrupt practice under section 123(6) of the Representation of the People Act, 1951 for incurring or authorising the election expenditure in excess of the then prescribed maximum limit of Rs. 10,500.

(ii) Shri Rao had shown an expenditure of 7,952.02 in the account of his election expenses lodged with the District Election Officer, Khammam, as required under section 78 of the said Act. The High Court, however, found on evidence that Shri Rao had incurred or auhorised the following expenditures also which he had not shown in his account of election expenses, viz. :—

(1) Rs. 588.35 on the purchase of fuel from Ratnam Oil Company, Aswararaopet;

(2) Expenditure on large quantities of fuel drawn from Ravi Auto Scrvice, Sethupalli, but of which only a negligible fraction was shown in the account of election expenses;

(3) Expenditure on 465 Litres of petrol purchased from Shri Gopala Krishna Petrol Pump, Jagareddigudem ;

(4) Estimated expenditure of Rs. 2,720 on the rent of 3 jeeps and a car used during the campaign period and the driver's batta ;

(5) Estimated expenditure of Rs. 425 on the hire charges and petrol for 4 Cars for one day;

(6) Rs. 7,300 on the printing of banners and flags from Shri Dhanalakshmi Textile Industries, Rajahmundry;

(7) Rs. 628.75 on the printing of posters from Kumari Lithos, Vijaywada; and

(8) Rs. 4,000 by his Chief Election Agent on the election campaign.

(iii) Against the aforesaid order and judgment dated 23-4-1980 of the High Court, Shri Rao filed an appeal before the Supreme Court and the Supreme Court by its interim order dated 20-5-1980, stayed the operation of the High Court's order pending disposal of that appeal. The Supreme Court ultimately dismissed the aforesaid appeal on 15-9-1983.

(iv) While dismissing the appeal, the Supreme Court observed in its judgment dated 15-9-1983 as follows :—

"The High Court by its judyment set aside the election on the ground that th elected candidate had indulged in corrupt pracices and further directed that the appellant who was the returned candidate would be debarred from contesting any election for a period of six years from that date.

It appears that after the appeal had been preferred, this Court granted conditional stay of the operation of the judgment. The general election to the Assembly has been held in the meantime on 5-1-1983. The appellant in spite of the order of stay granted by this Court has not been in a position to contest the said election. In the normal course there is no possibility of any election being held before 1988. By the time next election is held the disqualification imposed on the appellant would have lapsed.

In that view of the matter we are satisfied that the appeal has become academic and from that point of view really infructuous. We, therefore, do not propose to go into the merits of this appeal and accordingly we direct disposal of the appeal without examination on merit."

(v) The Election Commission, by its letter dated 6-12-1983, brought to the notice of the Supreme Court that under the existing provisions of secion 8A of the Represeutation of the People Act, 1951, Shri J. Venkateswara Rao had not automatically incurreed disqualification for six years as a result of the High Court's order dated 23-4-1980 and that the question whether Shri Rao should be disqualified and, if so, for what period still remained to be determined by the President in terms of sub-section (1) and (3) of the said section 8A.

(vi) In reply tothe Commission's aforesaid letter dated 6-12-1983, the Supreme Court informed as follows in its letter dated 14-12-1983 :—

"The above Civil Appeal was filed under section 116A of the Representation of the People Act, 1951 against the decision of the Andhra Pradesh High Court in an Election Petition, setting aside the election of J. Venkateswara Rao on the grounds of corrupt practices. On the amendment of the Aet in 1976, the period of disqualification has to be determined by the President of India under Section 8A of the Act and the maximum period can be 6 years from the date from which the disqualification would be operative. In view of the stay order of this Court, action as eontemplated under section 8(A) had not been initiated. When the appeal came up for hearing on 15-9-1983, counsel for both the appellant (Mr. J. Venkateswara Rao) and the Respondent were present in the Court and in their presence the appeal has been dismissed without examination on merits, in considcration of the fact that there has been a fresh election to the Legislative Assembly on 5-1-1983 and in spite of the conditional stay of the operation of the decision of the High Court, the appellant did not contest the election. This Court took the view that before 1988, no election is due in normal course and by then the disqualification that may be fixed under the Act may run out. It was for the counsel for the appellant to contest that the disqualification, if any, incurred by Shri J. Venkateswara Rao, also be set aside. Howeer, since no such stand was taken, on the considerations mentioned above, the Court passed the Order dismissing the appeal in terms of the signed order."

3. As a sequel to the judgment and order dated 23-4-1980 of the Andhra Pradesh High Court and the interim order dated 20-5-1980 and final order dated 15-9-1983 of the Supreme Court as clarified by their letter daed 14-12-83, referred to above, the question has now been raised before the President by the Secretary to the Andhra Pradesh Legislative Assembly in terms of section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951, whether Shri J. Venkateswara Rao may be disqualified and, if so, for what period for contesting future elections to Parliament and State Legislature.

4. Before deciding the above question the President has referred the matter to the Commission for its opinion under Section 8A(3) of the said Act. Under the proviso to section 8A(1), the period of disqualification shall in no case exceed six years from the date the High Court's order took effect i.e. 15-9-1983 in the present case, when the Supreme Court's stay order dated 20-5-1980 got vacated with its final order dated 15-9-1983.

5. Before tendering its opinion to the President, the Commission decided to afford Shri Venkateswara Rao an opportunity of being heard in the matter. Shri Rao, however, did not appear before the Commission in spite of the service of repeated notices on him. In order to give full opportunity to Shri Rao, the Commission adjourned the hearing several times as, somehow, the Commission's notices for such hearing were received by him on some occasions even after the date of hearing was over, though such notices had been sent to him sufficiently in advance. His only response to those notices was a laconic reply in his application dt. 3-9-84 in which he stateed that had there been a hearing of his appeal by the Supreme Court on merits, he would have succeeded in the appeal as he had a very good case on merits. He also stated that he had already suffered disqualification for more than 4 years and 5 months from 23-4-80, i.e., the

date of High Court's order, and desired that the Commission might send a report to the President exonerating him from the disqualification. He also desired in that application that he may be given an opportunity of personal hearing if the Commission desired to proceed with the matter further. However, as already stated, he, again, did not appear at the hearing fixed for the purpose on the 24th November, 1984 for which a notice was duly received by him on the 5th November, 1984.

6. It will be observed from the above that Shri Rao has been found guilty of corrupt practice under section 123(6) of the Representation of the People Act, 1951 by the High Court of Andhra Pradesh and that finding has not been upset by the Supreme Court in the appeal filed by Shri Rao. The Commission is bound by the findings of the High Court. The relevant facts of the case as given in paragraph 2 hereinabove would show that Shri Rao incurred or authorised an election expenditure far in excess of the then prescribed maximum limit of Rs. 10,500. It hardly needs to be stressed that the incurring or authorising of election expenditure in excess of the prescribed limit is a matter which ought to be viewed with all seriousness. In this conext, it would be apt to cite the following observations of the Supreme Court in Kanwar Lal Gupta Versus Amar Nath Chawla (AIR 1975 SC 308) :

> "The object of the provision limiting the expenditure is two-fold. In the first place, it should be open to any individual or any political party, howsoever small, to be able to contest an election on a footing of equality with any other individual or political party, howsoever rich and well financed it may be, and no individual or political party should be able to secure an advantage over others by reason of its superior financial strength. It can hardly be disputed that the way elections are held in our country, money is bound to play an important part in the successful prosecution of an election campaign..... The other objective of limiting expenditure is to eliminate, as far as possible, the influence of big money in the electoral process."

7. Shri Rao has not shown any mitigating circumstances why he should not be disqualified for having committed the above-mentioned corrupt practice of incurring and authorising the election expenditure far in excess of the prescribed limit. His contention that he has already suffered disqualification from 23-4-80 is obviously wrong because the very question whether he should be disqualified or not forms the subject-matter of the present proceedings. In view of the above, I do not see any reason why any leniency should be shown towards Shri Rao and why the penal provisions of section 8A(1) of the Representation of People Act, 1951 should not apply in relation to him with full rigour.

8. Therefore, I am of the opinion and hold that Shri Venkateswara Rao should be disqualified under section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951 for the full period of 6 years from the 15th September, 1983, i.e. the date of Supreme Court's order and from which date the High Court's order took effect, for committing the corrupt practice under section 123(6) of the said Act. I, accordingly, tender my opinion to the above effect to the President in terms of section 8A(3) of Representation of the People Act, 1951.

(R. K. TRIVEDI),
CHIEF ELECTION COMMISSIONER OF INDIA.

New Delhi,
The November 28, 1984.

[F. No. 7(23)|84-Leg.II]
R.V.S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985